राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

आश्विन 06, मंगलवार, शाके 1943-सितम्बर 28, 2021
Asvina 06, Tuesday, Saka 1943- September 28, 2021

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2021

संख्या प.2(35)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 14)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टि कट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टि कट यात्रा-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1975 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टि कट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम सं. 11) की धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार की रकम, उस उप-धारा में निर्दिष्ट एकल यात्री भाड़े के दस गुना के बराबर या दो हजार रुपये, जो भी कम हो, होगी।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 27, 2021

No. F. 2(35)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Rajya Path Parivahan Seva (Bina Ticket Yatra Nivaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT SERVICE (PREVENTION OF TICKETLESS TRAVEL) (AMENDMENT) ACT, 2021

(Act No. 14 of 2021)

(Received the assent of the Governor on the 25th day of September, 2021)

An

Act

further to amend the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 11 of 1975.- For the existing sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975 (Act No. 11 of 1975), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The excess charge referred to in sub-section (1) shall be a sum equivalent to ten times of the single fare referred to in that sub-section or two thousand rupees whichever is less.".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।